HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 1379/2024
In
S. B. Criminal Appeal No. 2048/2024

Rahul Kumar Son Of Arvind Kumar, Aged About 23 Years, Resident Of Jandaha Near Gandhi Chawk, Police Station Jandaha District Vaishali Bihar.
(Presently Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 1380/2024
In
S. B. Criminal Appeal No. 2049/2024

Dheeraj Kumar Son Of Late Shri Suraj Choudhary, Aged About 23 Years, Resident Of Nem Ka Chawk, Jandaha, Police Station Jandaha Bihar.
(Presently Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajveer Singh Gurjar, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

25/05/2026

अभियुक्त–अपीलार्थीगण की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत पृथक–पृथक सजा स्थगन/जमानत आवेदनों पर दोनों पक्षों को सुना

गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, जयपुर महानगर प्रथम** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **48/2021** में पारित निर्णय दिनांक **25.07.2024** के माध्यम से अभियुक्तगण को धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दोषसिद्ध घोषित कर अधिकतम 10 वर्ष के **कठोर** कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त–अपीलार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दौराने अन्वीक्षा अभियुक्तगण जमानत पर रहे हैं, दोषसिद्धी हेतु पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर नहीं रही है। यह भी निवेदन किया कि अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के मुकाबले अभियुक्तगण करीब पांच वर्ष की सजा भुगत चुके हैं, अपीलों में अभियुक्तगण के सफल होने की पूर्ण संभावना है, किन्तु उनके निस्तारण में समय लगेगा, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदनों को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय Narcotic Control Bureau Vs. Lakhwinder Singh 2025 0 INSC 190 के मामले में 10 वर्ष की सजा के मुकाबले साढ़े चार वर्ष की सजा भुगतने पर दण्डादेश स्थगित किया गया है। वर्तमान मामले में अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के मुकाबले अभियुक्तगण करीब पांच वर्ष की सजा भुगत चुके हैं, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, विचारण के दौरान प्रार्थी–अभियुक्तगण का जमानत पर होना बताया गया है, अपीलों के निस्तारण में समय लगेगा। विद्वान

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जो तर्क उठाये हैं, वे गंभीरता से विचारण योग्य हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपीलों में उठाये गये कानूनी मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उक्त दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः उक्त दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र **क्रमशः** अभियुक्त–अपीलार्थी **1. राहुल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार तथा 2. धीरज कुमार पुत्र स्व. श्री सूरज चौधरी की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर** स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि वे इस न्यायालय में **दिनांक 29.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं **विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा** पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 25.07.2024** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इन अपीलों के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

06-07/DINESH KUMAWAT/754